भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 905
गुरुवार, 24 जुलाई, 2025/2 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमान में तकनीकी खामी

905. श्रीमती साजदा अहमदः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अहमदाबाद में एअर इंडिया के विमान दुर्घटना के लिए जिम्मेदार विशिष्ट तकनीकी खामी की पहचान की है;
(ख) यदि हाँ, तो विमान के मॉडल का नाम और घटना से पहले उसके अनुरक्षण की स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) यात्रियों की सुरक्षा और एयरलाइन की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार/नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा उठाए गए तात्कालिक कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने पीड़ितों के लिए किसी मुआवजे की घोषणा की है और विमान के राष्ट्रव्यापी तकनीकी ऑडिट का आदेश दिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ) : महानिदेशक, वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (एएआईबी) द्वारा विमान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) नियम, 2017 के नियम 11 के तहत दिनांक 12.06.2025 को अहमदाबाद में एअर इंडिया की उड़ान एआई-171 की दुर्घटना के संभावित कारण (णों) /योगदायी कारक (कों) का निर्धारण करने के लिए जांच का आदेश दिया गया है। दुर्घटना में शामिल विमान बोइंग बी787-8 ड्रीमलाइनर था जिसका पंजीकरण नंबर वीटी-एएनबी था।

दुर्घटना पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट एएआईबी द्वारा 12.07.2025 को प्रकाशित की गई है और उनकी वेबसाइट www.aaib.gov.in पर उपलब्ध है। जाँच जारी है।

वीटी-एएनबी पंजीकरण वाले विमान का डीजीसीए विनियमों और निर्माता के दिशानिर्देशों के अनुपालन में अनुमोदित रखरखाव कार्यक्रम के अनुसार नियमित रखरखाव और सुरक्षा निरीक्षण किया गया।

डीजीसीए के पास एक संरचित निगरानी और ऑडिट फ्रेमवर्क है, अर्थात संगठन/विमान की योजनाबद्ध और अनियोजित निगरानी, जिसमें रखरखाव परिपाटियों की निरंतर निगरानी सहित सभी ऑपरेटरों का नियमित और आवधिक ऑडिट, स्पॉट चेक, रात्रि निगरानी और रैंप निरीक्षण शामिल हैं। यदि कोई

उल्लंघन होता है, तो डीजीसीए अपनी प्रवर्तन नीति और प्रक्रिया नियमावली के अनुसार प्रवर्तन कार्रवाई करता है।

इसके अलावा, डीजीसीए ने दिनांक 19 जून 2025 को सामान्य सुरक्षा परिपत्र 01/2025 जारी किया है, जो विमानन पारिस्थितिकी तंत्र का आकलन करने और विमानन सुरक्षा आर्किटेक्चर को मजबूत करने के लिए व्यापक विशेष ऑडिट से संबंधित है।

एअर इंडिया ने सूचित किया है कि उसने दिनांक 18.07.2025 तक 128 मृतक व्यक्तियों के निकटतम संबंधियों को 25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा जारी किया है। शेष मृतकों के लिए अंतरिम मुआवजे का भुगतान, मृतक के परिजनों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने के विभिन्न चरणों में है। अंतरिम मुआवजे के वितरण के पूरा होने के बाद अंतिम मुआवजे की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

एअर इंडिया ने यह भी बताया है कि टाटा संस द्वारा अपेक्षित ट्रस्ट का पंजीकरण दिनांक 18.07.2025 को पूर्ण हो गया है और एयरलाइन मृतकों के निकटतम परिजनों को 1 करोड़ रुपये की स्वैच्छिक अनुग्रह राशि वितरित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ीकरण और सत्यापन औपचारिकताएँ शुरू करने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा, एअर इंडिया मृतकों और घायलों के परिवारों को यात्रा व्यवस्था, आवास, चिकित्सा व्यय, घायल दिहाड़ी मजदूरों को तत्काल नकद भुगतान आदि जैसे विभिन्न तरीकों से सहायता प्रदान कर रही है।

भारत ने वर्ष 2009 में विमानवहन अधिनियम, 1972 द्वारा में संशोधन करके मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, 1999 का अनुसमर्थन किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मृत्यु, विलंब, क्षति या व्यक्तियों, बैगेज और कार्गो को नुकसान के मामले में मुआवजे के लिए अंतरराष्ट्रीय वाहकों की देनदारियों का प्रावधान किया गया है।

******